फोन नं.:- 07570299010 ई-मेल:-piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र.....715..... सिवनी मालवा, दिनांक...9/7/24

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
वन भवन, सी ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं. 2, तुलसी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में 2250.05 हेक्टे. वन भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत। (वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. 1. आपका पत्र क्र. / **एफ- 3 /16/2018/10-11/1512, दिनांक 11.03.2024**
2.भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का **पत्र क्र 8-16/2023- FC दिनांक 08.03.2024**

---------00---------

उपरोक्त संदर्भित में निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने जिला होशंगाबाद, बैतूल हरदा एवं खंडवा के अंतर्गत मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (V) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है।

भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार वांछित अतिरिक्त (V) बिन्दुओ की जानकारी का पालन प्रतिवेदन एवं वस्तुस्थिति सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए आपकी ओर सादर प्रेषित है।

अतः निवेदन है कि परियोजना की वस्तुस्थिति एवं स्पष्टीकरण वन विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन Forest Consolidated Guidelines and clarifications issued under VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM, 1980 and Van (sanrakshak Evam Samvardhan) Rules, 2023, दिनांक 29/12/2023 के आधार पर अग्रिम कार्यवाही के लिए भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्न - पालन प्रतिवेदन एवं संबंधित अनुलग्नक।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

पत्र क्र.....716..... सिवनी मालवा, दिनांक....9/7/24

प्रतिलिपि:- 1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त खंडवा/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल होशंगाबाद/हरदा/ उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल /खंडवा / जबलपुर, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

S No.	DESCRIPTION OF SHORTCOMINGS OBSERVED	REPLY OF SHORTCOMING OBSERVED
1	In order to have actual assessment of the no. of trees involved in the project, the species wise and girth class wise complete enumeration of the trees falling in proposed diversion area as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन दिनांक 29/12/2023 के बिंदु क्र.1.4 (Vi) में यह प्रावधानित किया है, कि 10 हेक्ट. से अधिक के प्रस्तावों में वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट या कार्य योजना के अनुसार की जा सकती है। अतः प्रस्ताव में सेम्पल प्लाट की गणना या कार्य योजना में कक्ष वार अंकित वृक्षों के आधार पर दिए जाने का अनुरोध है। कुल आवेदित 2250.05 हेक्ट. में से 1555.281 हेक्ट. (70% लगभग) में सम्पादित किया जा चुका है। पंचनामो के अनुसार वास्तविक वृक्ष गणना वनमंडल उत्तर बैतूल में 188.89 हे. में 17781, पश्चिम बैतूल 34.46 हे. में 465, हरदा 809.09 हे. में 140631, खंडवा 2.19 हे. में 1537, एवं वनमंडल नर्मदापुरम में अनुपातिक वृक्ष गणना 1215.42 हे. में 267474 है। इस प्रकार कुल वृक्षों की संख्या 427888 है। (अनुलग्नक - 1)
2	The study of the possible impacts of the project on the Biodiversity and Wildlife by Wildlife Institute of India along with the specie recommendation from the CWLW and State Govt. as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	वन समेकित दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, दिनांक 29.12.2023, के पृष्ठ संख्या 47 बिंदु संख्या 1.22, अनुसार सैधान्तिक स्वीकृति के उपरांत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर राशि जमा की जा सकती है एवं परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा कर भी स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। प्रस्ताव में प्रभावित वन क्षेत्र की वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु सक्षम संस्थाओ जैसे IIFM, WII, WCT,WWFN आदि को लेख किया गया है। इन संस्थाओ से सहमति प्राप्त होने पर किसी एक संस्था से यह कार्य करवाया जावेगा। भारत सरकार के परिपत्र दिनांक के अनुसार आवेदक संस्था परियोजना लागत की 2% राशि जमा करने हेतु भी सहमत है। विभाग द्वारा वचनपत्र पत्र क्र 1200, दिनांक 29.09.2023 को वन विभाग को प्रेषित किया गया। (अनुलग्नक - 2)
3	The recommendations/ Comments of National Tiger Conservation Authority (NTCA) on the instant proposal as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	बिंदु क्र. 2 पर दिये विवरण अनुसार यह कार्यवाही सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात पूर्ण कर ली जावेगी। जहा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना में प्रभावित वन क्षेत्र की वन्यप्राणी स्वीकृति हेतु ऑनलाइन प्रकरण प्रदत किया जा चुका है, जिसका ऑनलाइन प्रकरण क्र. WL/MP/IRRIG/452403/2023 है। इस प्रस्ताव पर सामान्तर रूप से कार्यवाही प्रचलित है। (अनुलग्नक - 3)

Scanned with OKEN Scanner

4	Necessary action as per rules to seek the requisite recommendations of NBWL/ SBWL as requested has not been taken by the State Govt. which needs submission.	बिंदु क्र. 3 पर दिये विवरण अनुसार यह कार्यवाही सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात पूर्ण कर ली जावेगी।
5	The complete CA scheme, along with relevant documents, revenue record, maps and KML files for the total non-forest land proposal for Compensatory Afforestation and to ensure that the proposed area is free from all Encumbrances as requested has not been submitted by the State Govt. Which needs submission.	परियोजना समतुल्य गैर वन भूमि का आवंटन संबंधित जिलाधीश द्वारा जिला सागर में 1457.46 हेक्ट., जिला आगर मालवा में 275.28 हेक्ट., जिला जबलपुर में 170 हेक्ट. एवं जिला बैतूल में 386.469 हेक्ट. ***कुल गैर वनभूमि 2289.209 हेक्ट.*** का आवंटन किया गया है। जिसमे से आज दिनांक 25.02.2024 तक जबलपुर की 170 हेक्ट., सागर की 463.28 हेक्ट. एवं आगर मालवा की 212.420 हेक्ट.***कुल 845.7 हेक्ट.की वृक्षारोपण योजना*** तैयार की जा चुकी है। यह बिंदु वन विभाग से सम्बंधित है। यहाँ यह भी उल्लेखित है कि भारत सरकार द्वारा जारी नियमों दिनांक 29/12/2023 के **बिंदु क्र. 11 (10)** के अनुसार 1000 हेक्ट. से अधिक के प्रस्तावों में चरणों में भारत सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने के प्रावधान है। वन समेकित दिशानिर्देश और वन विभाग द्वारा जारी नियमों दिनांक 29/12/2023 के **पृष्ठ संख्या 95 पर बिंदु क्र. 9.1** के अनुसार चरण वार स्वीकृति भारत सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने के प्रावधान है। प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रभावित गैर वन भूमि सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात परियोजना समतुल्य प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि चरण वार वन विभाग को सौपी जावेगी। जिसमे परियोजना निर्माण हेतु प्रथम चरण में 116.27 हेक्ट. वन भूमि की आवश्यकता है, जिसके एवज में जबलपुर की 170 हेक्ट. वृक्षारोपण योजना तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। (अनुलग्नक - 4)

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner